पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–11] रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 जून, 2010 ई0 (ज्येष्ठ 15, 1932 शक सम्वत्) [संख्या–23

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	157–160	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	107–110	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	89–90	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 मार्च, 2010

संख्या 693/VIII/10–544(क0रा0बी0यो0)/2005–चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम के कर्मचारी सरकारी चिकित्सा नियमों से आच्छादित हैं;

अतएव, अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 केन्द्रीय अधिनियम संख्या 34, वर्ष 1948 की धारा 88, 91 एवं 91क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करके उत्तराखण्ड परिवहन निगम के कार्यशालाओं के कर्मचारियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन उत्तराखण्ड परिवहन निगम के गठन की तारीख अर्थात् दिनांक 31–10–2003 से दिनांक 12 अक्टूबर, 2009 तक के लिए उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से छूट प्रदान करते हैं।

(1) उक्त अधिष्ठान को नियोजक, उस अवधि के संबंध में, जिसमें अधिष्ठान उक्त अधिनियम के प्रवर्तन में रहा (जिसे आगे उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणी, ऐसे प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा, जिसमें ऐसे ब्यौरे दिये होंगे, जो कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के अधीन उनके द्वारा उक्त अवधि के संबंध में दिये जाने थे।

(2) उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन निगम द्वारा नियुक्त कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी–

(एक) उक्त अवधि के लिए धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किसी विवरणी में दिये गये ब्यौरे का सत्यापन करने; या

(दो) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त अवधि के लिए कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 की अपेक्षानुसार रजिस्टर और अभिलेख रखे गये थे; या

(तीन) यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या कर्मचारी नियोजक द्वारा नगद या वस्तु के रूप में की जाने वाली उन प्रसुविधाओं के हकदार बने रहते, जिनको ध्यान में रखते हुये इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है।

(चार) यह सुनिश्चित करेंगे कि क्या संबंधित अवधि में अधिनियम के किसी भी उपबन्ध का अनुपालन किया गया है, जबकि उक्त अधिष्ठान के संबंध में ऐसे उपबन्ध लागू थे।

के प्रयोजन के लिए–

(क) प्रधान या अव्यवहित (immediate) नियोजक से ऐसी सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा जिसे वह आवश्यक समझे, या

(ख) किसी कारखाने, स्थापन कार्यालय अन्य परिसर में जो ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभाग में हो किसी भी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश करने और किसी व्यक्ति से जिसे उसका भार साधक पाया जाय, यह अपेक्षा करेंगे कि ऐसे निरीक्षक या अन्य पदाधिकारी के समक्ष मजदूरी के ऐसे में लेखे पुस्तिकें और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने और उसे उसकी परीक्षा करने या उसे ऐसी सूचना देने, जैसी वह आवश्यक समझे, या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक, उसके अभिकर्ता या सेवक या उस व्यक्ति की जिसे ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाय, या कोई व्यक्ति जिसे उक्त निरीक्षक या अन्य पदाधिकारी को यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण हो कि वह कर्मचारी रह चुका है, परीक्षा करने; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परीसर में रखे गये किसी रजिस्टर लेखे, पुस्तक या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपियां बनाने या उसके उद्धरण लेने के लिए सशक्त होगा।

आज्ञा से,

अजय सिंह नबियाल,
सचिव।

VITTA ANUBHAG--8

11 May, 2010

CORRIGENDUM

No. 465/2010/141(120)/XXVII(8)/2008--In Notification No. 430/2010/141(120)/XXVII(8)/2008, dated April 28, 2010 issued by the Uttarakhand Shasan, Finance Section-8, for the words "at serial no. 36" occurring in line no. 11 the words "at serial no. 62" shall be substituted.

2. The above Notification shall be deemed modified upto this extent.

L. M. PANT,
Secretary, Finance.

संख्या 649/XV-1/10/1(25)/05

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 31 मार्च, 2010

विषय : पशुपालन निदेशालय में सांख्यकीय इकाई की स्थापना हेतु पदों का सृजन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 768/स्था0एक/निरन्तरता/सां0प्र0/09–10, दिनांक 19–02–2010 के सन्दर्भ एवं शासनादेश संख्या 915/XV–1/1(25)/05, दिनांक 3 जून, 2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय पशुपालन विभाग के अन्तर्गत सांख्यिकीय सैल की स्थापना हेतु निम्नांकित 29 अस्थाई पदों की दिनांक 28 फरवरी, 2011 तक बशर्ते कि इससे पूर्व इन्हें समाप्त न कर दिया जाए, निरन्तरता की स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान रु0	वेतन ग्रेड	पदों की संख्या	पद स्थापना का स्थान
1	2	3	4	5	6
1.	उप निदेशक, सांख्यिकी एवं नियोजन	15600–39100	6600	01	निदेशालय हेतु
2.	संख्याविद	15600–39100	5400	01	उक्त
3.	संख्या सहायक/निरीक्षक	9300–34800	4200	04	उक्त

1	2	3	4	5	6
4.	संगणक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	5200–20200	1900	04	निदेशालय हेतु
5.	निरीक्षक	5200–20200	2800	01	उक्त
6.	अन्वेषक कम संगणक	9300–34800	4200	18	13 पद जनपदों हेतु 5 पद मुख्यालय हेतु
			योग	29	

2–उक्त पद धारकों को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी प्राप्त होंगे।

3–इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन आयोजनागत–113–प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकीय–01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0102–पशुपालन सांख्यिकी प्रकोष्ठ–(50 प्रतिशत केन्द्र सहायता) के सुसंगत मदों के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

4–यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विनोद फोनिया,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 23 हिन्दी गजट/311–भाग 1–2010 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 जून, 2010 ई0 (ज्येष्ठ 15, 1932 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

April 23, 2010

No. 270/UHC/Admin. A/2010--Sri Jayendra Singh, Civil Judge (Jr. Div.), Gopeshwar, Distt. Chamoli will also be the Civil Judge (Jr. Div.), Pokhari, Distt. Chamoli in addition to his duties with the directions to hold Camp Court at Pokhari, Distt. Chamoli, for two days in a month.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,
Sd/-
RAVINDRA MAITHANI,
Registrar General.

May 03, 2010

No. 273/XIV-62/Admin.A/2004--Sri Amit Kumar Sirohi, Chief Judicial Magistrate, Udhamsingh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 05 days *w.e.f.* 01.04.2010 to 05.04.2010.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
PRASHANT JOSHI,
Registrar (Inspection).

May 25, 2010

No. 273/UHC/Admin.A/2010--In exercise of the powers conferred by Rule 27(ii) of the Uttarakhand Higher Judicial Service Rules, 2004 and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Uttarakhand is pleased to grant the Super Time Scale of Rs. 22,850-500-24,850 to the following officers after completing 03 years of continuous service in the Selection Grade of H.J.S. Cadre from the date shown against their names :--

Sl. No.	Name of the Officer	Date of grant of Super Time Scale
1.	Sri Jaya Dev Singh	14.12.2006
2.	Sri Roop Deo Pandey	01.04.2009
3.	Sri Raj Krishan	01.11.2009
4.	Sri Krishan Datt Bhatt	18.04.2010
5.	Sri Ram Singh	18.04.2010

The dates from which Sri Servesh Kumar Gupta and Sri Umesh Chandra Dhyani, would get Super Time Scale have also been revised and now Sri Servesh Kumar Gupta shall be released Super Time Scale from 09.11.2007 and Sri Umesh Chandra Dhyani from 01.12.2008.

By Order of the Court,
Sd/-
RAVINDRA MAITHANI,
Registrar General.

May 18, 2010

No. 274/XIV/55/Admin.A/2003--Sri Nitin Sharma, the then Chief Judicial Magistrate, Almora, presently posted as Chief Judicial Magistrate, Nainital, is hereby sanctioned earned leave for 18 days *w.e.f.* 29.09.2009 to 16.10.2009 with permission to prefix 27.09.2009 as Sunday, 28.09.2009 as Dussehra holiday and to suffix 17.10.2009 to 19.10.2009 as Deepawali Holidays.

May 25, 2010

No. 274/XIV/36/Admin.A/2008--Smt. Sangeeta Rani, 2nd Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, Distt. Hardwar, is hereby sanctioned maternity leave for 180 days *w.e.f.* 28.10.2009 to 25.04.2010, in terms of F.R. 101 and S.R. 153 & 154 of F.H.B., Volume II (Parts 2-4).

May 18, 2010

No. 275/XIV/82/Admin.A/2003--Smt. Pritu Sharma, the then Civil Judge (Sr. Div.), Almora, presently posted as Civil Judge (Sr. Div.), Nainital, is hereby sanctioned earned leave for 18 days *w.e.f.* 29.09.2009 to 16.10.2009 with permission to prefix 27.09.2009 as Sunday, 28.09.2009 as Dussehra holiday and to suffix 17.10.2009 to 19.10.2009 as Deepawali Holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
PRASHANT JOSHI,
Registrar (Inspection).

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
(प्रशासन प्रभाग)
कार्यालय आदेश

दिनांक 10 फरवरी, 2010

संख्या 63/सू० एवं लो०स०वि०(प्रशा०) 34/2007–सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी, ग्रेड–1 (वेतनमान रु० 9300–34800 ग्रेड वेतन रु० 4200) श्री हरदयाल सिंह नेगी को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के उपरान्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित) वेतनमान रु० 9300–34800 ग्रेड वेतन रु० 4200 के रिक्त पद पर तात्कालिक प्रभाव से एतद्द्वारा प्रोन्नति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

सुभाष कुमार,
महानिदेशक।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा

प्रभार प्रमाण–पत्र

दिनांक 12 जनवरी, 2010

पत्रांक 32/स्था0–1/मु0वि0अ0/व्य0प0/2009–कार्मिक अनुभाग उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के आदेश संख्या 88/THIRTY–1–2010 के अनुपालन में मुख्य विकास अधिकारी अल्मोड़ा के पद का पदभार जैसा कि नीचे व्यक्त किया गया है, आज दिनांक 12–1–2010 के पूर्वान्ह/अपरान्ह में ग्रहण किया गया।

मोचक अधिकारी

धीराज सिंह गर्ब्याल,
मुख्य विकास अधिकारी,
अल्मोड़ा।

प्रतिहस्ताक्षर

सुबर्द्धन,
जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार

कार्यमुक्ति प्रमाण–पत्र

दिनांक 25 जनवरी, 2010

संख्या 1625/01 पी0/अधि0/2009–उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक अनुभाग–2, विज्ञप्ति/नियुक्ति 624/XXX(2)/2009, दिनांक 11 जून, 2009 के अनुपालन में दिनांक 06 जुलाई, 2009 के पूर्वान्ह में मैंने सदस्य, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार का पदभार ग्रहण किया था। अत्यन्त निजी कारणों से मेरे द्वारा सदस्य के रूप में दिनांक 25 जनवरी, 2010 से त्याग–पत्र स्वीकृत किये जाने हेतु महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड से अनुरोध किया गया। उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक अनुभाग–2 से प्राप्त अधिसूचना संख्या XXX(2)/2010, दिनांक 21 जनवरी, 2010 के अनुपालन में मेरे द्वारा आज दिनांक 25 जनवरी, 2010 के अपरान्ह में सदस्य, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग का पदभार छोड़ दिया गया है।

ह0/– अपठित,
ब्रिगेडियर (से0नि0) सी0पी0 तिवारी, सदस्य।

सेवा निवृत्ति पर कार्यमुक्ति प्रमाण–पत्र

दिनांक 29 जनवरी, 2010

संख्या 1648/अधि0/2009–प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक अनुभाग–1, विज्ञप्ति/सेवा निवृत्ति संख्या 96/तीस–1–2010–25(2)/2004, दिनांक 12 जनवरी, 2010 के अनुपालन में अधिवर्षता आयु पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरी परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार दिनांक 31 जनवरी, 2010 के अपरान्ह से कार्यमुक्त हो जायेंगे।

मुक्त अधिकारी

विक्रम सिंह नेगी,
परीक्षा नियंत्रण,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार।

प्रतिहस्ताक्षरित

सचिव,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार।

प्रभार प्रमाण–पत्र

दिनांक 29 जनवरी, 2010

संख्या 1646/01/अधि0/2010–प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक विभाग, फैक्स संख्या–4/J.S. Camp/THIRTY-1-2010, दिनांक 13 जनवरी, 2010 के अनुपालन में मेरे द्वारा परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार का कार्यभार दिनांक 29 जनवरी, 2010 के पूर्वान्ह में ग्रहण कर लिया गया है।

मदन सिंह कुण्डरा,
परीक्षा नियंत्रक,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार।

प्रतिहस्ताक्षरित
सचिव,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
(प्रशासन प्रभाग)

कार्यालय आदेश

दिनांक 10 फरवरी, 2010

संख्या 64/सू0 एवं लो0स0वि0(प्रशा0) 34/2007–सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी, ग्रेड–1 (वेतनमान रु0 9300–34800 ग्रेड वेतन रु0 4200) श्री कलम सिंह चौहान को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के उपरान्त व्यवस्थाधिकारी (राजपत्रित) वेतनमान रु0 9300–34800 ग्रेड वेतन रु0 4200 के रिक्त पद पर तात्कालिक प्रभाव से निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :–

1–श्री कलम सिंह चौहान को व्यवस्थाधिकारी के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

2–उक्त प्रोन्नति अस्थायी है। यदि उत्तर प्रदेश, सूचना विभाग से आवंटित ज्येष्ठ कार्मिक द्वारा उत्तराखण्ड, सूचना विभाग में कार्यभार ग्रहण किया जाता है, तो श्री चौहान को उनके मूल पद (प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1) पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

सुभाष कुमार,
महानिदेशक।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 23 हिन्दी गजट/311–भाग 1–क–2010 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 जून, 2010 ई0 (ज्येष्ठ 15, 1932 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, श्रीनगर गढ़वाल

केबिल उपनियम

12 अप्रैल, 2010 ई0

पत्रांक 41 / 03 व0लि0 / केबिल उपनियम / 2010–11–नगर पालिका परिषद्, अधिनियम 1916 की धारा 298 की उपधारा (2) शीर्षक (ई) उपखण्ड 'वी' के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद्, श्रीनगर गढ़वाल के अपने क्षेत्रान्तर्गत केबिल उपनियम बनाने हेतु पालिका बैठक दिनांक 27–11–2009 के प्रस्ताव सं0–05 के अनुपालन में समाचार पत्र में दिनांक 21–01–2010 को प्रकाशित कराया गया, किन्तु निर्धारित अवधि पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः नगर पालिका परिषद् द्वारा अपने प्रस्ताव सं0–16, दिनांक 15–02–2010 के द्वारा इन उपनियमों को लागू करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यह उपनियम की धारा 301(2) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित किए जाने हैं, जो शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

उपविधियां

(1) यह उपविधि नगर पालिका परिषद्, श्रीनगर क्षेत्र में संचालित केबिल ऑपरेटर पर लाईसेन्स शुल्क उपविधियां सन् 2010 कहलायेगी।

(2) यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

(3) परिभाषा–

(क) नगर पालिका से तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, श्रीनगर व उसकी सीमा से है।

(ख) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, श्रीनगर के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) अधिनियम से तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 (उ0प्र0) एक्ट सं0–2 1916 से है।

(घ) अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, श्रीनगर के अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी से है।

(ङ) "लाईसेन्स" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 298 की उपधारा (2) के अन्तर्गत इस उपविधियों के अधीन नगर पालिका परिषद् के सीमान्तर्गत केबिल का कार्य करने वाले ऑपरेटरों के कुल वार्षिक प्राप्ति का 5% केबिल लाईसेन्स शुल्क देना होगा।

(च) लाईसेन्स की अवधि एक वित्तीय वर्ष के लिए (प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक) होगी। लाईसेन्स वित्तीय वर्ष के किसी भी मास में जारी किया जाये परन्तु लाईसेन्स अवधि 31 मार्च को समाप्त हो जायेगी।

(4) लाईसेन्स आवेदक द्वारा लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ दो फोटो (पासपोर्ट साईज) देनी होगी तथा आवेदन में विवरण भी देना होगा तथा स्थानीय थाना द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

(5) प्राप्त आवेदन पत्र पर अधिशासी अधिकारी द्वारा समुचित विचारोपरान्त लाईसेन्स दिए जाने, न दिए जाने का निर्णय लिया जायेगा, न दिए जाने की सूचना कारण सहित दी जायेगी।

(6) लाईसेन्स जारी करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।

(7) जांचकर्ता की जांच के समय केबिल लाईसेन्स शुल्क से सम्बन्धित सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व व्यवसायी का होगा।

(8) प्राप्त आवेदन पत्र पर अधिशासी अधिकारी द्वारा समुचित विचारोपरान्त लाईसेन्स दिए जाने, न दिए जाने का निर्णय लिया जायेगा अथवा ऐसी स्थिति में विलम्ब शुल्क (जो लाईसेन्स शुल्क का 10 प्रतिशत से कम न होगा) अतिरिक्त अधिभार के रूप में जमा करना आवश्यक होगा।

(9) लाईसेन्स अधिकारी स्वयं अथवा अपनी एजेन्सी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जांच का कार्य सम्पादित करा सकता है, जो पालिका परिषद् के राजस्व निरीक्षक अथवा प्रभारी राजस्व निरीक्षक स्तर से कम नहीं होगा।

(10) केबिल लाईसेन्स नियमों का उल्लंघन होने की दशा में लाईसेन्स अधिकारी जनहित में किसी भी समय लाईसेन्स निरस्त कर सकता है, यदि व्यवसायी लाईसेन्स अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करता है, तो उस अपील की सुनवाई का अधिकार अध्यक्ष में निहित होगा।

उपरोक्त उपविधियों का उल्लंघन नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299(1) के अन्तर्गत दण्डनीय होगा जो कि मु0–25,000.00 (पच्चीस हजार रुपये) मात्र हो सकता है।

ह0/ अपठनीय
बद्री प्रसाद,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्,
श्रीनगर, गढ़वाल।

ह0/ अपठनीय
मोहन लाल जैन,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्,
श्रीनगर, गढ़वाल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 23 हिन्दी गजट/311–भाग 8–2010 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।